सुप्रीम कोर्ट के जजों का कॉलेजियम सुर्खियों में क्यों है?

लेखक - कृष्णदास राजगोपाल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

16 सितम्बर, 2019

"क्यों अदालत के कामकाज पर, विशेष रूप से न्यायपालिका में तबादलों के मुद्दे पर, बहस तेज हो गई है?"

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजया कमलेश ताहिलरामनी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण को लेकर हालिया विवाद ने एक बार फिर से 'कॉलेजियम' के कामकाज पर लंबे समय से चली आ रही बहस को पुनर्जीवित कर दिया है, जो उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ और स्थानांतरण करते हैं। न्यायमूर्ति ताहिलरामनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), रंजन गोगोई और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा स्थानांतरण पर पुनर्विचार के अनुरोध के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

हांलाकि, बार के समूहों ने स्थानांतरण के साथ-साथ सटीक कारण के बारे में भी पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि कोलेजियम के पास वास्तव में इस संदर्भ में ठोस कारण थे और यदि आवश्यक हुआ तो इनका खुलासा भी किया जा सकता है।

कॉलेजियम प्रणाली कैसे अस्तित्व में आया?

न्यायाधीशों का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की देन है। कॉलेजियम का उल्लेख संविधान में नहीं है और संविधान में जो बात कहीं गयी है वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और इसके लिए वे परामर्श की प्रक्रिया का पालन करेंगे। वास्तव में, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति एक संस्थान द्वारा की जाती है जिसमें न्यायाधीश होते हैं। 1970 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कुछ न्यायाधीशों को नीचे से ऊपर के पद पर बैठा दिया गया था और बाद में देश भर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामूहिक स्थानांतरण करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद ऐसी धारणा बन गयी थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है।

इसके परिणामस्वरूप आगे के वर्षों में ऐसे मामलों की एक श्रृंखला सामने आई। 'प्रथम न्यायाधीश केस' (1981) ने फैसला सुनाया कि नियुक्तियों के मामले में सीजेआई के साथ 'परामर्श' पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए। हालाँकि इस विचार को खारिज कर दिया गया कि सीजेआई की राय को प्रमुख होने के कारण, प्रधानता देनी चाहिए।

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले (1993) ने कोलेजियम प्रणाली पेश की, जिसमें कहा गया कि 'परामर्श' का वास्तव में अर्थ 'सहमति' है। इसमें कहा गया है कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि उच्चतम न्यायालय में दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी। अपनी राय के लिए एक राष्ट्रपति के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय, तीसरे न्यायाधीशों के मामले (1998) में कोलेजियम का विस्तार पांच सदस्यीय निकाय के रूप में किया गया, जिसमें सीजेआई और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे।

कॉलेजियम के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

भारत के राष्ट्रपति, सीजेआई और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। जहां तक सीजेआई का सवाल है, निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करता है। व्यवहार में, 1970 के दशक के विवाद के बाद से इसे वरिष्ठता के

अनुसार सख्ती से लागू किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिश को आगे बढ़ाते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों के लिए, प्रस्ताव सीजेआई द्वारा शुरू किया जाता है।

सीजेआई कोलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालय से न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के लिए भी सलाह देता है, जिससे वह संबंधित होता है। परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करनी चाहिए और इसे फाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। कॉलेजियम कानून मंत्री को सिफारिश भेजता है, जो इसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री को भेजता है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों के बाहर से बनाने की नीति के अनुसार नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम ही इस पर फैसला करता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजेआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है। हालांकि, प्रस्ताव को दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाता है। सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देती है।

क्या कॉलेजियम भी तबादलों की सिफारिश करता है?

हां, कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की भी सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 222 में न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। जब मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाता है, तो संबंधित उच्च न्यायालय के लिए एक प्रतिस्थापन भी एक साथ पाया जाना चाहिए। एक महीने से अधिक समय तक उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है।

स्थानांतरण के मामलों में, सीजेआई की राय 'निर्धारक' है और संबंधित न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, सीजेआई को संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचारों और एक या अधिक SC जजों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए जो ऐसा करने की स्थिति में हैं। सभी स्थानांतरण सार्वजनिक हित में किए जाने चाहिए अर्थात 'न्याय प्रशासन की बेहतरी के लिए'।

कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आम आलोचना क्या है?

कई लोगों ने इस सिस्टम को न केवल इसके लिए दोष दिया है कि इसे संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ अप्रत्याशित के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसके कार्य करने के तरीके के लिए भी इसे दोष दिया है। इसमें अस्पष्टता और पारदर्शिता की कमी और भाई-भतीजावाद की गुंजाइश अक्सर उद्धृत की जाती है। इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा बदलने का प्रयास 2015 में अदालत द्वारा इस आधार पर किया गया था कि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर दिया था।

न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने इसे 'स्वाभाविक रूप से अवैध' करार दिया था। यहां तक कि बहुमत की राय ने पारदर्शिता की आवश्यकता को स्वीकार किया। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास में, कॉलेजियम के प्रस्तावों को अब ऑनलाइन पोस्ट किया गया है, लेकिन कारण नहीं दिए गए हैं।

कुछ लोग तबादलों के कारणों के पूर्ण प्रकटीकरण पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इससे वकीलों द्वारा उस स्थानांतरित न्यायाधीश के गंतव्य न्यायालय में फायदा उठाया जा सकता है। नियुक्तियों के संबंध में, इस बात को स्वीकार किया गया है कि रिटायर्ड जजों के परिवारों से कई अपॉइंटमेंट की आलोचना करने से बचने के लिए 'विचार क्षेत्र' का विस्तार किया जाना चाहिए। अधिक जवाबदेही तय करने के लिए प्रस्तावित नए ज्ञापन प्रक्रिया की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।

कॉलेजियम व्यवस्था

क्या है?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को 'कॉलेजियम व्यवस्था' कहा जाता है। 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में।

पृष्ठभूमि

- यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है।
- UPA सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था।
- इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है।

कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी में अंतर?

- एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं, कॉलेजियम सिस्टम के जरिये पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है।
- एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस आयोग का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ीं 2 जानी-मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी।
- कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती।
- इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। एनजेएसी को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर संवैधानिक है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं केन्द्र ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां थीं।

विशेषज्ञों का तर्क?

- देश की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था "पहलवान का लड़का पहलवान" बनाने की तर्ज पर "जज का लड़का जज" बनाने की जिद करके बैठी है।
- भले ही इन जजों से ज्यादा काबिल जज न्यायालयों में मौजूद हों। यह प्रथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है।
- कॉलेजियम सिस्टम का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। इसलिए सरकार को इसको पलटने के लिए कोई कानून लाना चाहिए ताकि भारत की न्याय व्यवस्था में काबिज कुछ घरानों का एकाधिकार खत्म हो जाये।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. कॉलेजियम कानून मंत्री को सिफारिश भेजता है, जो इसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री को भेजता है।
   2. कॉलेजियम को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा बदलने का प्रयास किया गया।
   3. संविधान के अनुच्छेद-223 में न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रावधान है जिसकी सिफारिश कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements related to the collegium of the Supreme Court-**

   1. The Collegium sends a recommendation to the Law Minister, who sends it to the Prime Minister to advise the President.
   2. There was an attempt to change the collegium by the National Judicial Appointments Commission.
   3. Article-232 of the constitution provides for the transfer of judge, which is recommended by the collegium.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'कॉलेजियम व्यवस्था पिछले कुछ समय से विवाद में रही है, हालांकि इस बार यह विवाद स्थानांतरण को लेकर है।' स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम की अधिकारिता को स्पष्ट कीजिए। क्या कॉलेजियम को समाप्त करना बेहतर विकल्प है? (250 शब्द)

Q. 'The collegium system has been in discussion for some time, although this time it is about transfer.' Explain the jurisdiction of the collegium regarding transfer. Is ending collegium a better option? (250 Words)

नोट : 14 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।